सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2022/439 दर्ज तिथिः—19.10.2022

1. रामाराम पुत्र हरजीराम
   जाति जाट निवासी गोदारों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.............प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नोखडा
2. नगाराम पुत्र हरदानराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 उमाराम पुत्र नगाराम
   2/2 देरामाराम पुत्र नगाराम
   2/3 पेमाराम पुत्र नगाराम
   2/4 धापूदेवी पुत्र नगाराम
   जाति जाट निवासी गोदारों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जोगाराम पोटलिया
अप्रार्थीगणः— श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—13.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 51/1/0.7281 है0, 74/5/11.4069 है0, 95/3/3.9722 है0, 95/8/2.3057 है0 मौजा गोदारों की बेरी पटवार मण्डल आसुओं की ढाणी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थी के पिता हरजीराम द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा खसरा संख्या 51 एवं 74 के खातेदार चिमना पुत्र मोती से खसरा संख्या 51 के कुल रकबा 50.07 बीघा में से 04.10 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 74 में से 70.10 बीघा भूमि क्रय की गई।
- कि उक्त खरीदशुदा आराजी का नामांतरकरण संख्या 73 ग्राम खुडाला स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी को खसरा संख्या 51/1, 74/1 आवंटित कर ग्राम आडेल से खुडाला जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में कब्जा सुपुर्द किया गया। जिस पर प्रार्थी वर्तमान में काबिज काश्त है।
- कि ग्राम खुडाला के खसरा संख्या 51 में चलायमान सड़क को चौड़ा करने हेतु 02.09 बीघा भूमि को अवाप्त किया जाकर गै0मु0 सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया।
- कि खसरा संख्या 51 एवं 74 के खातेदार चिमना पुत्र मोती द्वारा प्रार्थी के पिता को खसरा संख्या 51 में से 04.10 बीघा का बेचान करने एवं खसरा संख्या 51 में से 02.09 बीघा भूमि सड़क हेतु अवाप्त की गई। तत्पश्चात् खसरा संख्या 51 के खातेदार चिमना के फौत होने के पश्चात् चिमना पुत्र मोती की पुत्रियां अणसी, संतोका द्वारा खसरा संख्या 51 में से 04.10 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा खरीददार नगाराम को किया गया। उक्त बेचान एवं भूमि अवाप्ति के पश्चात् खसरा संख्या 51 का कुल रकबा 39.18 बीघा रहना चाहिए था।
- कि राजस्व कार्मिकों द्वारा नामांतरकरण संख्या 91 ग्राम खुडाला में गलत रूप से इन्द्राज कर पूर्व में प्रार्थी के पिता हरजीराम को बेचान की गई भूमि खसरा संख्या 51/1 को दोबारा गै0मु0 सड़क के नाम कर दिया। साथ ही खसरा संख्या 51/2 रकबा 04.10 बीघा भूमि को चिमनाराम के नाम कर दिया गया। जिससे प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 51/1 रकबा 04.10 बीघा की तरमीम करते वक्त खसरा संख्या 02 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 02 नगाराम के खसरा संख्या 51/2 को प्रार्थी की तरमीम के समायोजित करने से मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है। अंत में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 51/1/0.7281 है0, 74/5/11.4069 है0, 95/3/3.9722 है0, 95/8/2.3057 है0 मौजा गोदारों की बेरी पटवार मण्डल आसुओं की ढाणी तहसील नोखड़ा को प्रार्थी के द्वारा क्रयपत्र व दर्ज नामांतरकरण संख्या 73 एवं मौका कब्जा काश्त आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 02 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। परंतु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

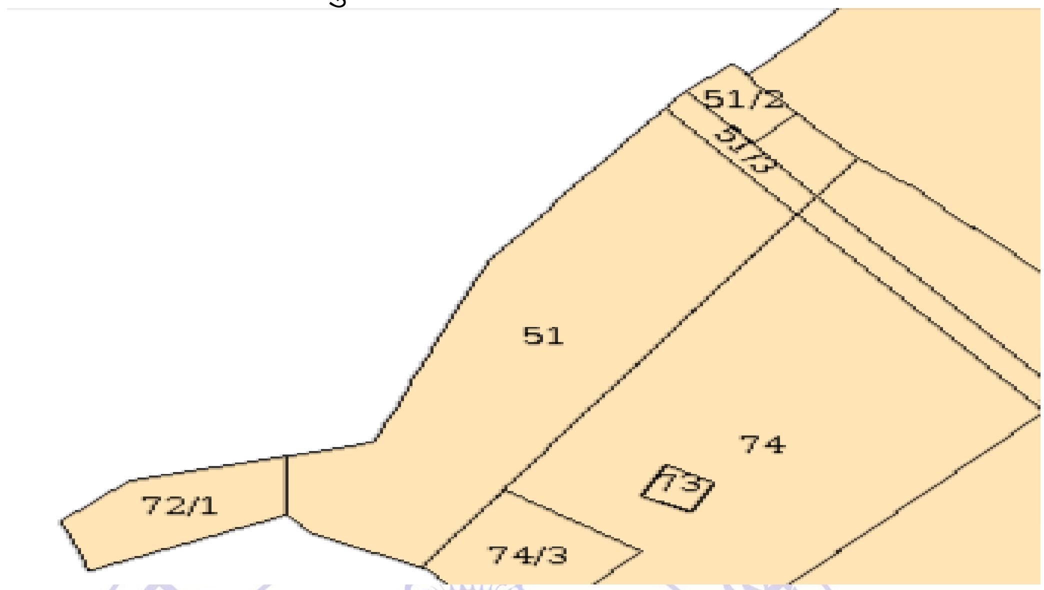

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

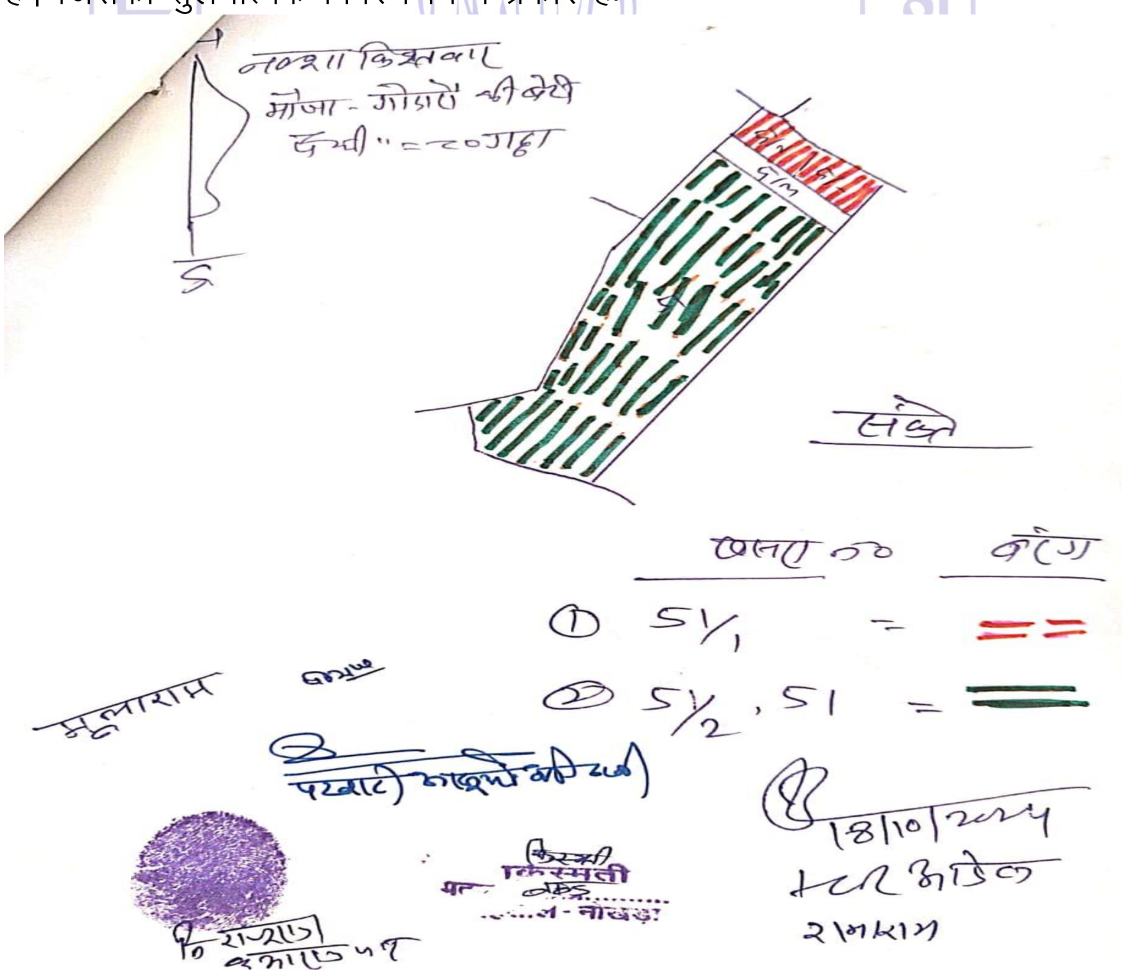

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. कि वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 51 का रकबा 50.07 बीघा (8. 1466 है0) था।
    2. उक्त खसरे में से प्रथम बेचान दिनांक 13.10.1971 को हरजीराम पुत्र वालाराम जाति जाट के नाम 04.10 बीघा (00.7281 है0) का हुआ था। हरजीराम की मृत्यु के बाद यह भूमि विरासत में रामाराम पुत्र हरजीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका खसरा संख्या 51/1 दर्ज है। उक्त बेचान दस्तावेज में पड़ोस दर्ज है और खातेदार रामाराम का कब्जा काश्त है। जिसे बरंग लाल दर्शाया गया है। प्रथम बेचान व नामांतरकरण 73 दर्ज होने के बाद मूल खसरा संख्या 51 में 45.17 बीघा भूमि शेष रही थी।
    3. कि खसरा संख्या 51 में प्रथम बेचान के बाद दिनांक 06.04.1975 को पी.डब्ल्यू.डी (सड़क) नाम नामांतरकरण संख्या 91 दर्ज हुआ। उक्त नामांतरकरण दर्ज करते समय खसरा संख्या 51 का रकबा 45.17 बीघा के स्थान पर 50.07 बीघा कर विभाजन कर खसरा संख्या 51/1 रकबा 02.09 बीघा पी.डब्ल्यू.डी सड़क, खसरा संख्या 51, 51/2 रकबा क्रमशः 43.08 बीघा, 04.10 बीघा खातेदार चिमना पुत्र मोती जाति रबारी के नाम दर्ज कर दिया गया था। उक्त नामांतरकरण संख्या 91 में गलती से एक नया नम्बर 04.10 बीघा का डाल दिया गया था। बाद में उक्त खसरा संख्या 51/2 रकबा 04.10 बीघा भूमि चिमना के वारिश अणसी, संतोका पुत्रीयां चिमना द्वारा नगाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट को बेचान कर दिया गया। जिनका मौके पर कहीं भी कब्जा काश्त नहीं है।
    4. कि खसरा संख्या 51 वर्तमान में मौके पर तीन तरह से विभाजित है। एक भाग 51/3 रकबा 02.09 बीघा गै0मु0 सड़क पी.डब्ल्यू. डी. के नाम दर्ज है। सड़क के उत्तर पूर्व में 04.10 बीघा भूमि है। जिससे संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया है। इस पर प्रथम खरीददार रामाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट का कब्जा काश्त है। सड़क के दक्षिण पश्चिम में रकबा 43.08 बीघा भूमि है। जिससे संलग्न नक्शे में बरंग हरा दिखाया गया है।
    5. कि वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में सड़क के उत्तर पूर्व में दो खसरे 51/1, 51/2 रकबा क्रमशः 0.7281 है0, 0.7281 है0 दर्शाया गया है। जबकि सड़क के उत्तर पूर्व में 0.7281 है0 भूमि है। जिस पर प्रार्थी रामाराम का कब्जा है।
    6. कि वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में सड़क के दक्षिण पश्चिम में खसरा संख्या 51 रकबा 6.2940 है0 दर्ज है। जबकि सड़क के दक्षिण पश्चिम में रकबा 7.0221 है0 भूमि है। खसरा संख्या 51/2 को नक्शे में उत्तर पूर्व में दर्शाया गया है। जबकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खसरे के भूमि सड़क के दक्षिण पश्चिम में स्थित खसरा संख्या 51 में अवस्थित है।

- कि खसरा संख्या 51/1 सड़क के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। जिसको बरंग लाल दर्शाया गया है।
- कि खसरा संख्या 51/2 की भूमि सड़क के दक्षिण पश्चिम में होने से खसरा संख्या 51 व 51/2 के खातेदारान को हिस्से की भूमि अनुसार संयुक्त खातेदार दर्ज किया जाए। जिससे संलग्न नक्शे में बरंग हरा दर्शाया गया है। निम्नानुसार संयुक्त खातेदार घोषित किया जाना उचित हैः—

क्र.सं.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	बरंग
1	रामाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	51	0.7281	बा.सो.	लाल
2	कसूम्बी पत्नी धीराराम 65/868 तेजाराम पुत्र धीराराम 65/868 भगवानाराम पुत्र धीराराम 65/868 जेठाराम पुत्र टीकमाराम 65/868 मानीदेवी पत्नी पाबूराम 5/868 वीरोंदेवी पुत्री पाबूराम 5/868 नेनूदेवी पुत्री पाबूराम 5/868 चम्पालाल पुत्र पाबूराम 5/868 भीखाराम पुत्र शोभाराम 5/217 चुतराराम पुत्र नगाराम 5/217 हीराराम पुत्र डूंगराराम 5/217 जाति जाट गुमनाराम पुत्र सूजाराम 219/868 शांतिदेवी पुत्री देवा 219/868 जाति राईका सा0 देह उमाराम पुत्र नगाराम 45/1736 दैरामाराम पुत्र नगाराम 45/1736 पेमाराम पुत्र नगाराम 45/1736 धापूदेवी पुत्री नगाराम 45/1736 जाति जाट निवासी मोडाणियों की ढाणी खातेदार	51 51/2 कुल 02	6.2940 0.7281 7.0221	बा.सो. बा.सो. —	हरा —

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

रामाराम बनाम सरकार
2022 / 439
निर्णय दिनांकः—13.01.2025

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1787 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested